

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

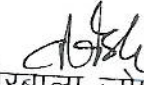
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17471-75

दिनांक: 24 अक्टूबर 2013

कार्यालय आदेश

श्री रामावतार शर्मा लेखाकार (मेरिट नम्बर 709/88 लिंक नं 4901) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चूरु को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चूरु में श्री गुगनराम तेतरवाल लेखाकार के प्रशिक्षण में जाने से हुये रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

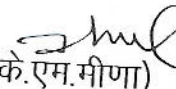
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17471-75

दिनांक: 24 अक्टूबर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चूरु को उनके पत्र क्रमांक 3428 दिनांक 26.9.2013 के सन्दर्भ में ।
2. कोषाधिकारी चूरु
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चूरु
4. श्री रामावतार शर्मा लेखाकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चूरु
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)